रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 696] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1996/अग्रहयण 7, 1918
No. 696] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 1996/AGRAHAYANA 7, 1918

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(नागरिक आपूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1996

का.आ. 833 (अ):—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1-1-97 से 31-3-1998 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैंबर ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल. सं. 12/(10)/आई. टी./96]

एस. सी. ब्रम्ह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1996

S.O. 833 (E).—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period from the 1st January, 1997 to the 31st March, 1998 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(10)/IT/96]

S. C. BRAHMA Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1996

का. आ. 834 (अ.).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को आलू में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1-1-1997 से 31-3-1998 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैंबर ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल सं. 12/(10)/आई. टी./96]

एस. सी. ब्रम्ह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1996

S.O. 834 (E).—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period from the 1st January, 1997 to the 31st March, 1998 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Potatoes.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(10)/IT/96]

S.C. BRAHMA, Jt Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996